

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1747] No. 1747] नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2019/ज्येष्ठ 22, 1941

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2019/JYAISTHA 22, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2019

सं. 8/2015-2020

विषय:- काजू की गिरी (टूटी हुई / संपूर्ण) की आयात नीति शर्तों में संशोधन।

का.आ. 1955(अ). —समय—समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची—1 (आयात नीति) के अध्याय 8 के तहत एचएस कोड 08013210 के तहत काजू की गिरी (टूटी हुई) और एचएस कोड 08013220 के तहत काजू की गिरी (संपूर्ण) की आयात नीति भार्तों में संशोधन करती है।

एक्जिम	मद विवरण	मौजूदा	संशोधित	मौजूदा नीतिगत शर्तें	संशोधित नीतिगत शर्तें
कोड		नीति	नीति		
80813210	काजू की गिरी,	मुक्त	निशिद्ध	न्यूनतम सीआईएफ मूल्य	तथापि, आयात मुक्त है यदि
	टूटी हुई			(प्रति कि.ग्रा.) 288 / -	
				रुपये है।	680 / – रुपये से अधिक है।
08013220	काजू की गिरी,	मुक्त	निशिद्ध	न्यूनतम सीआईएफ मूल्य	तथापि, आयात मुक्त है यदि
	संपूर्ण			(प्रति कि.ग्रा.) ४०० / –	सीआईएफ मूल्य प्रति कि.ग्रा.
				रुपये है।	720 / — रुपये से अधिक है।

2852 GI/2019 (1)

इस अधिसूचना का प्रभावः काजू की गिरी (टूटी हुई / संपूर्ण) का न्यूनतम आयात मूल्य बढ़ा दिया गया है।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. एम—5898 / एएम—03 / पीसी—2(क) / खंड II—पी—13393] आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

टिप्पणीः दिनांक 17 जनवरी, 2017 की मुख्य अधिसूचना सं. 36/2015—2020 को दिनांक 17 जनवरी, 2017 की सं. का.आ. 172(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2019

No. 8/2015-2020

Subject: Amendment in import policy conditions of cashew kernels (broken/whole).

S.O. 1955(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy conditions of cashew kernels (broken) against HS Code 08013210 and cashew kernel (whole) against HS Code 08013220 under Chapter 8 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy.

Exim Code	Item Description		•		Revised Policy Condition
		Policy		Condition	
08013210	Cashew kernel,	Free	Prohibited	Minimum CIF Value	However, import is free if
	broken			(Per Kg.) is Rs.288/-	CIF value is above
					Rs.680/- per KG.
08013220	Cashew kernel, whole	Free	Prohibited	Minimum CIF Value	However, import is free if
				(Per Kg.)is Rs.400/-	CIF value is above
					Rs.720/- per KG.

Effect of the Notification: Minimum Import Price of Cashew kernel (broken / whole) enhanced.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

(F.No. M-5898/AM-03/PC-2 (A)/Vol.II – P-13393)

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade& Ex- officio Addl. Secy.

Note: The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 172 (E), dated the 17th January, 2017.